न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)
पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 144/2009

तोरन सिंह पिसर मुतवन्ना श्रीमती रामप्यारी जाति जाट निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर

.....वादी

बनाम

1.शिवसिंह पुत्र पूरनसिंह
2.गिर्राजसिंह पुत्र पूरनसिंह
3.मॉगेलाल पुत्र रामसिंह
4.कालीचरन पुत्र रामसिंह
5.पप्पू पुत्र रामसिंह
6.संजय पुत्र रामसिंह
7.राकेश पुत्र रामसिंह
8.सन्ता पुत्री रामसिंह
9.कासन पुत्री रामसिंह
10.केसर वेबा रामसिंह
11.देवो पुत्री पूरनसिंह

समस्त जातिगण जाट निवासी महमदपुर तहसील, हजूर जिला आगरा(उ0प्र0)

.....प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88—89 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः—08.12.2017

उपस्थित :—ऐड.सोनीराम शर्मा अभिभाषकवादी ।

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89 आरटीए विरूद्ध प्रतिवादी प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके

ग्राम चिकसाना तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नं0 314/0.22 का वादी खातेदार काश्तकार है ।

आराजी मुतनाजा पूर्व में शेरसिंह के कब्जे एवं काश्त की आराजी थी। शेरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी व अन्य आराजी शेरसिंह की पत्नि रामप्यारी की खातेदारी में आ गई। पूरनसिंह पुत्र चरनसिंह को मृतक शेरसिंह व रामप्यारी की बेटी ब्याही थी। पूरनसिंह रामप्यारी का दामाद था। रामप्यारी के कोई पुत्र संतान नहीं थी। इस कारण उसने अपनी पुत्री के पुत्र यानि पूरनसिंह के पुत्र तोरनसिंह वादी को बचपन में ही गोद लिया था। तोरनसिंह ने रामप्यारी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में उसकी आराजी व अन्य जायदाद को प्राप्त किया। पूरन जो कि वादी का प्राकृतिक पिता है,ग्राम महमदपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कभी कभार ग्राम चिकसाना आता था। गलती से खसरा नम्बर 314/0.22 पर पूरनसिंह के नाम खातेदारी इन्द्राज हो गये जबकि इस नम्बर पर प्रारंभ से ही वादी काश्त करता चला आ रहा है। जिसे वादी ने अपनी दत्तक माता रामप्यारी से विरासत में प्राप्त किया है।

पूरनसिंह करीब 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। उसके सभी वारिसान ग्राम महमदपुर में ही रहते हैं जो कि दावा में प्रतिवादीगण हैं। जिन्होंने कभी भी आराजी मुतनाजा पर काश्त नहीं की। आराजी पर कब्जा वादी का है। आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी की है। आराजी पर मृतक पूरनसिंह के नाम इन्द्राज गलत चले आ रहे हैं। इसलिए वादी अदालत से हक इश्तकरार हक करा पाने का अधिकारी है।

इस प्रकार ने दावा प्रस्तुत कर वाके ग्राम चिकसाना तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 314/0.22 पर खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं मृतक पूरनसिंह के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराने का निवेदन किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सवत् 2064–67 पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया वाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तत्पश्चात् दिनॉक 2210.2010 को प्रतिवादी संख्या 2,4,7,8,9 व 10 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना इकवालदावा पेश किया। तत्पश्चात् साक्ष्य वादी में गवाह तोरनसिंह व धर्मसिंह के शपथ पत्र पेश हुए अन्य साक्ष्य न आने पर दिनॉक 08.09.2016 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादी के बहस सुनी गई जिसका मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाके ग्राम चिकसाना स्थित आराजी खसरा नं0 314/0.22 पूर्व में शेरसिंह के खातेदारी की आराजी थी। शेरसिंह की मृत्यु के बाद यह आराजी उसकी पत्नि रामप्यारी के नाम इन्द्राज हो गई। रामप्यारी के फौत होने पर उक्त आराजी उसके दामाद पूरनसिंह के खातेदारी में आ गई। वर्तमान में पूरनसिंह ही उक्त आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। पूरनसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान का ही इस आराजी पर हक होगा। वादी ने स्वयं को रामप्यारी का दत्तक पुत्र होना बताया है किन्तु इस बावत् दावा के समर्थन में कोई गोदनामा व अन्य कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी रामप्यारी का दत्तक पुत्र है। वादी ने दावा के साथ संवत् 2063–67 की जमाबदी पेश की है, वह अन्य खसरा नम्बरान की है। खसरा नम्बर 314/0.22 बावत् कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सवूत पेश नहीं किया है जिससे उसका दावा प्रमाणित होना प्रतीत होता हो। अतः हमारे न्यायिक मत में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आज्ञा है किः–

दावा वादी साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official